**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः 77/**2026** (अपील सूचना का अधिकार)

शांता उर्फ शान्ति पुत्री उदा कुलमी पताः कुलमियों का चौराहा, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

## प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

**दिनांकः** 27/04/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 09.02.2026 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करायी सूचना से संतुष्ट नहीं होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/77/26/447–48 दिनांक 23.03.2026 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से 4 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई। प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/प्रत्युत्तर का अंकन किया गया है किन्तु अपीलार्थी उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(जे) ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य नहीं करता, केवल वही सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो एवं प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना प्रथम अपील से प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाएं जो कार्यालय में उपलब्ध हो एवं पूर्व में उपलब्ध नहीं करवाई गई हो तो नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करावे। साथ ही प्रत्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में अपील में नियत समय में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि. एवं**
**जिला कलक्टर, उदयपुर**

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.04.27 15:08:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21830142
M e-Sign